

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं० 89/18

अनवान : 1. सन्तलाल पुत्र श्री कासीराम जाट, खचवाना तहसील भादरा।

—वादी

बनाम

1. कासीराम पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
2. सुनील कुमार पुत्र कासीराम जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
3. किरण पुत्री कासीराम जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक वाद-पत्र
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955।

आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा एवं बैच के सदस्यों के समक्ष न्याय आपके द्वार 2018 भरवाना में वकीलवादी श्री विक्रम शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादवादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है व घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 2 बारानी के खाता सं० 26/34 के मु० न. 21 के किला न. 13 ता 18, 23 ता 25, मु० न. 22 के किला न. 11 ता 14, 17 ता 24, मु० न. 35 के किला न. 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 24, मु० न. 36 के किला न. 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25, मु० न. 39 के किला न. 2 ता 7, मु० न. 40 के किला न. 1, 10, 11, कुल 14.953 हैक्टर बारानी 14.875 रास्ता 0.078 में वादी तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2, तीनों को बहिस्सा बराबर 1/9 - 1/9 खातेदारी दर्ज की जावे। प्रतिवादी सं. 3 ने वादभूमि में अपना हक त्याग कर दिया है अतः हक त्याग किए गए हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर तथा यदि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन फक के पश्चात् इसी अनुसार रिकार्ड दरुस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना रहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19 मई 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ